

नियम 28 : किसी अभिकर्ता के माध्यम से प्रदाय किए जाने से भिन्न विभिन्न या संबंधित व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य

¹[(1)] जहां 25 की उपधारा (4) और उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न व्यक्तियों के बीच या जहां अभिकर्ता के माध्यम से किए जाने के भिन्न प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता संबंधित व्यक्ति हैं, वहां माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य,—

(क) ऐसी प्रदाय का खुला बाजार मूल्य होगा;

(ख) यदि खुला बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है तो उसी प्रकार और उसी क्वालिटी के माल या सेवाओं की प्रदाय का मूल्य होगा;

(ग) यदि मूल्य खंड (क) या खंड (ख) में अवधार्य नहीं है तो उस क्रम में नियम 30 या नियम 31 के लागू किए जाने से यथा अवधारित मूल्य होगा :

परन्तु जहां माल का इस रूप में प्राप्तिकर्ता द्वारा आगे और प्रदाय किया जाना आशयित है, वहां मूल्य, प्रदायकर्ता के विकल्प पर प्राप्तिकर्ता द्वारा उसके ऐसे ग्राहक को, जो संबंधित व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल की प्रदाय के लिए प्रभारित कीमत के नब्बे प्रतिशत के समतुल्य रकम होगा :

परन्तु यह और कि जहां प्राप्तिकर्ता पूर्ण इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, वहां बीजक में घोषित मूल्य को माल या सेवाओं का खुला बाजार मूल्य समझा जाएगा।

²[(2) उपनियम (1) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पूर्तिकर्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता, जो एक संबंध व्यक्ति है ³[भारत में अवस्थित है], को उक्त प्राप्तिकर्ता की ओर से किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था को कारपोरेट गारंटी प्रदान करके की गई संवाओं की आपूर्ति का मूल्य, ऐसी प्रस्तावित गारंटी ⁴[प्रतिवर्ष] या वास्तविक प्रतिफल इनमें से जो भी अधिक हो, की रकम का एक प्रतिशत होना समझा जाएगा।]

⁵[**परन्तु** जहां प्राप्तिकर्ता पूर्ण इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र हैं वहां बीजक में घोषित मूल्य सेवाओं के उक्त प्रदाय का मूल्य समझा जाएगा।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 52/2023—केन्द्रीय कर, दिनांक 26.10.2023 द्वारा उपनियम (1) पुनर्संख्यांकित किया गया। प्रभावशील दिनांक 26.10.2023।

² अधिसूचना क्रमांक 52/2023—केन्द्रीय कर, दिनांक 26.10.2023 द्वारा उपनियम (2) अंतःस्थापित किया गया। प्रभावशील दिनांक 26.10.2023।

³ अधिसूचना क्रमांक 12/2024—केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा अंतःस्थापित किया गया। प्रभावशील दिनांक 26.10.2023।

⁴ अधिसूचना क्रमांक 12/2024—केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा अंतःस्थापित किया गया। प्रभावशील दिनांक 26.10.2023।

⁵ अधिसूचना क्रमांक 12/2024—केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित किया गया। प्रभावशील दिनांक 26.10.2023।